FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0063 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/04/2024 19:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 24/04/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:19 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/04/2024 **Time (समय):** 17:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/04/2024 19:01:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Patwar Bhawan, Balarwa Jodhpur, Tiwary

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Shree Kishan

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Shree Hanuman Ram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	Hari Sagar Agriculture Farm, Balarwa Jodhpur, Tinwari, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Hari Sagar Egriculture Faram, Balarwa Jodhpur, Tiwary, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9001446500

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	Soniya Raigar		पिता:Kailash Raigar	1. Gulgaon,Kekri,केकड़ी, RAJASTHAN,INDIA
2	Shri Vijayveer Singh		पिता:Mahaveer Singh	1. 336,Sutharon ki Dhani,Jodhour,Balarwa tiwary,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि	10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** **(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)** **(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण। विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत मुझ प्रार्थी कि किशन पुत्र श्री हनुमानराम जाती माली उम्र 25 साल निवासी ग्राम बालरवा तहसील तिवरी जिला जोधपुर का निवेदन हैं कि मैं तिंवरी में ई-मित्र का कार्य करता हँू। मेरे ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 90 मे मेरे द्वारा श्री माणकराम, छोटे दादा श्री भाउराम, जयनारायण तथा मेरे ताउजी श्री रणवीर पुत्र लूणाराम व श्री सुमेरलाल पुत्र श्री लूणाराम के नाम से कुल 21.159 बीघा जमीन थी। जिसमे से मेरे रिस्ते मे दादा श्री भाउराम (मेरे दादा के सगे भाई) ने अपने हिस्से की लगभग 5.289 बीघा जमीन को मेरे एवं मेरे सगे भाई श्री अनिल के नाम (बराबर-बराबर हिस्सा) जरिये बख्सीस तहसील कार्यालय तिवरी मे दिनांक 15.02.2024 को रजिस्ट्री करवाई थी। मेरे रिस्ते मे दादाजी द्वारा मेरे व मेरे भाई श्री अनिल के नाम की गई उक्त 5.289 बीघा जमीन की बख्सीस रजिस्ट्री की प्रतिलिपि तथा मेरे ग्राम बालरवा के पटवारी श्रीमती सोनिया को मेरे व मेरे भाई के नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु दी थी। इसके अतिरिक्त मैने मेरे ताउजी के लड़के श्री राम किशोर, श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री हपाराम, किशन व अनिल टाक के नाम नामान्तकरण श्रीमति सोनिया पटवारी से दर्ज करवाया था। इस प्रकार मेरे द्वारा श्रीमति सोनिया पटवारी से कुल 06 नामान्तकरण दर्ज करवाये थे। श्रीमति सोनिया पटवारी द्वारा मेरे से उक्त 06 नामान्तकरण के 9000/- रू0 रिश्वत के मांगे थे, तो मैने श्रीमति सोनिया पटवारी को कहा कि मेरे अभी लगलग 06 रहननामे/रहनमुक्त दर्ज करवाने है तो श्रीमति सोनिया पटवारी ने कहा कि मैं प्रत्येक रहननामे/रहनमुक्त के 500 रू0 अलग से लूगी। ग्राम बालरवा के पटवारी श्रीमती सोनिया द्वारा मेरे व मेरे भाई श्री अनिल के नाम दिनांक 02.04.20204 को नामान्तकरण दर्ज किया गया परन्तु श्रीमति सोनिया पटवारी द्वारा उक्त नामान्तकरण में मेरा नाम किशन के स्थान पर श्री किशन गलत अंकित कर दिया गया हैं। जिस पर मैने उसी दिन जरिये फोन श्रीमति सोनिया पटवारी को अवगत कराया था कि नामान्तकरण में आप द्वारा मेरा नाम किशन के स्थान पर श्री किशन गलत अंकित कर दिया है। तत्पश्चाम मै उक्त जमीन पर कृर्षि ऋण लेने हेतु पी.एन.बी शाखा तिवरी मे आवेदन कर आवेदन के संलग्न उक्त नामान्तकरण की प्रति संलग्न की तो बैक शाखा के अधिकारियो ने मेरे नाम हुए नामान्तकरण मे संशोधन पश्चात आवेदन करने हेतु बोला गया। मुझे उक्त जमीन के संबंध मे सरकारी योजनाओ मे लाभ लेने हेतु समस्या आने पर मै दिनांक 27.02.2024 को श्रीमती सोनिया पटवारी से सम्पर्क कर मेरा नामान्तकरण सही करवाने हेतु निवेदन किया तो श्रीमती सोनिया ने पहले तो मुझे बताया कि आपकी रजिस्ट्री मे जो नाम था उसी अनुसार मैने नामान्तकरण भरा हैं जिस पर मैने श्रीमती सोनिया पटवारी को उक्त रजिस्ट्री का अवलोकन करवाया और कहा कि आप द्वारा ही नामान्तकरण सही नही भरा हैं मेरा नामान्तकरण मे शुद्धि की जावे। जिस पर पटवारी श्रीमती सोनिया ने मुझे कहा कि आपने पहले भी उक्त नामान्तकरण दर्ज करवाया उसकी फीस नही दी हैं, पहले उसकी फीस दे फिर मै आगे देखुगी। जिस पर मैने पटवारी को कहा कि नामान्तकरण दर्ज करने की तो कोई सरकारी फीस होती नही हैं तो फिर फीस बाकी कैसे हुई। जिस पर पटवारी ने कहा कि मै हर नामान्तरण दर्ज करने की एवज मे 1500/- रुपये लेती हुं और रहननामे/रहनमुक्त के 500 रू0 के हिसाब से लूंगी। इस प्रकार श्रीमति सोनिया पटवारी मेरे से कुल 12000/- रू0 रिश्वत की मांग कर रही है। इसके अतिरिक्त श्रीमती सोनिया पटवारी से मैने दिनांक 27.02.2024 को उक्त खसरे तथा मेरे व मेरे पिताजी के नाम दर्ज जमीन की गिरदावारी चाही जाने पर श्रीमती सोनिया ने मेरे 1600/- रुपये मांगे थे जिसमे से मैने उसे आन लाईन देना चाहा तो पटवारी ने अपने खाते मे आन लाईन पैमेन्ट लेने का मना करते हुए अपने पास बैठे श्री थानाराम के खाते डालने हेतु कहा और कहा कि मै इससे कैश ले लूगी। जिस पर मेरे द्वारा मेरे खाते से श्री थानाराम के खाते मे फोन पे के जरिये 1000/- डाल दिये थें। और 600/- बाद मे देने हेतु मैने कहा था। अतः श्रीमान मै श्रीमती सोनिया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा को मेरे व मेरे परिवार के नाम दर्ज किये गये नामान्तकरण तथा रहननामे/रहनमुक्त दर्ज करवाने की एवज में 12000/- रू0 रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हैं। मेरी श्रीमती सोनिया पटवारी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नही हैं तथा ना ही मेरी उनसे किसी प्रकार की कोई लेन-देन बकाया हैं। रिपोर्ट देता हु कानूनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावें। मै रिपोर्ट के साथ श्रीमति सोनिया पटवारी द्वारा गलत दर्ज किये गये नामान्तकरण, बख्सीसी रजिस्ट्री व मेरे आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति पेश कर रहा हुं। शेष मेरे परिवार के नाम दर्ज किये गये नामान्तरकण की प्रतियां मैं बाद में पेश कर दूंगा। दिनांकः-

01/03/2024 प्रार्थी किशन पुत्र हनुमानराम जाति माली उम्र 25 साल निवासी बालरवा तह0 तिंवरी मोबाईल नम्बर 9001446500 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि दिनांक 01.03.2024 को वक्त 12.30 पीएम पर परिवादी किशन पुत्र हनुमानाराम जाति माली उम्र 25 साल निवासी बालरवा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर ने कार्यालय उपस्थित होकर स्वयं द्वारा टाईप शुदा रिपोर्ट पेश की और दरियाप्त पर बताया कि मैने श्रीमती सोनीया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा से हमारी जमीनो के 06 नामांतरण दर्ज करवाये थे तथा मुझे 06 रहनामा/रहनमुक्त दर्ज करवाने है उक्त पूर्व में दर्ज करवाये गये नामांतरण तथा अब रहननामा रहनमुक्त दर्ज करने के एवज में श्रीमति सौनीया पअवारी 12000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रही है। मेरा नामांतरण दर्ज हो चुका है परन्तु रहननामा/रहनमुक्त दर्ज करवाने शेष है। उपरोक्त रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) 1988 का पाया जाने से उच्चाधिकारीयो को हालात निवेदन कर उच्चाधिकारीयो के निर्देशानुसार मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर वक्त 4.00 पी.एम. मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रीम कार्यवाही एंव रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय मे उपस्थित श्री रामकिशोर कानि. 13 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामकिशोर कानि. 13 से परिवादी किशन का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवादी किशन एवं श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी किशन व श्री रामकिशोर कानि.13 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया जाकर वक्त 4.30 पी.एम. मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस को परिवादी किशन ने बताया कि अभी समय काफी हो चुका है तथा हमारे यहां से रवाना होकर बालरवा पहुचेगें तब तक अन्धेरा हो जायेगा तथा श्रीमति सोनिया पटवारी भी नहीं मिलेगी मैं मेरे गांव आज पहुचकर आईन्दा पटवारी जी की उपस्थित के बारे में मालुमात कर आपको या श्री रामकिशोर जी को जरिये मोबाईल सूचित कर दूंगा। साथ ही परिवादी किशन ने यह भी बताया कि 3-4 दिन की छुट्टिया होने से पटवारी श्रीमति सोनिया जी नहीं मिलेगी, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी किशन को अब तक की कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत एवं पटवारी के उपस्थित आने पर अवगत करवाने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। वक्त 4.40 पी.एम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय कानि. श्री रामकिशोर 13 को परिवादी किशन द्वारा जब भी सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस को सूचित करने एवं परिवादी के सम्पर्क में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 06.03.2024 को वक्त 2.15 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि.13 ने म्न निरीक्षक पुलिस को बताया कि अभी वक्त 2.00 पीएम पर परिवादी किशन ने मोबाईल नम्बर 9001446500 से मेरे मोबाईल नम्बर 9269846641 पर काल कर बताया कि आज पटवारी जी बालरवा में उपस्थित है तथा आज उनसे राशि लेन-देन के सम्बध में बातचीत हो सकती है। मैं आपको ग्राम बालरवा में ही मिल जाउंगा। जिस पर म्न अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी से निकलवाया जाकर मैमोरी कार्ड के खाली होने की तस्सली कर उक्त डिजीटल वायस रिकार्डर को चालू कर मन् निरीक्षक पुलिस व श्री रामकिशोर कानि. की आपसी वार्ता को रिकार्ड किया जाकर रिकार्ड वार्ता को पुनः सुना गया तो उक्त रिकार्डर भली भांति संचालित होना पाया जाने पर डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय कम्प्युटर की मदद से डिलीट की जाकर डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड की भलीभांति जांच कर यह सुनिश्चित किया गया कि उक्त डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में किसी प्रकार की कोई वार्ता रिकार्ड नहीं है। तत्पश्चात कानि. श्री रामकिशोर 13 को डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुर्पुद कर परिवादी के बताये अनुसार आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से ग्राम बालरवा की तरफ रवाना किया गया। वक्त   4.54 पी.एम पर श्री रामकिशोर कानि.13 ने जरिये मोबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मै कार्यालय से रवाना होकर बस से बस स्टैण्ड ग्राम बालरवा पहुचा जहापर परिवादी किशन अपनी मोटरसाईकिल के उपस्थित मिला। जिस पर मै व परिवादी किशन बस स्टैण्ड बालरवा से परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना होकर पटवार मण्डल बालरवा के पास पहुचे जहां पर पटवार भवन बालरवा के ताला लगा हुआ था तथा परिवादी ने अपने स्तर पटवारी जी का मालुमात किया तो पता चला कि पटवारी जी अभी थोडी देर पहले यंहा से चले गये है। जिस पर संग्दिध श्रीमति सोनिया के मोबाईल पर परिवादी के मोबाईल से काल करवाया गया तो संदिग्ध आरोपिया के मोबाईल से सम्पर्क नहीं हो सका तथा यह भी मालुम हुआ कि संदिग्ध आरोपियां श्रीमति सोनिया पटवारी जी कल दिनांक 07.03.2024 को उपस्थित मिलेगी। आरोपियां के उपस्थित नहीं मिलने पर मेरे द्वारा डिजीटल वायस रिकार्डर चालू नहीं किया गया था। जिस पर म्न निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर कानि. को निर्देशित किया कि परिवादी किशन को वहीं छोडा जावे एवं आप रात्रि मुकिम बालरवा या आस-पास सुविधानुसार रहकर कल दिनांक 07.03.2024 को ग्राम बालरवा में परिवादी से सम्पर्क कर संदिग्ध आरोपियां श्रीमति सोनिया पटवारी के बालरवा में उपस्थिति के बारे में मालुमात कर परिवादी एवं आरोपियां के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर कार्यालय में उपस्थित आवे साथ ही श्री रामकिशोर कानि. को एवं परिवादी किशन को अब तक की कार्यवाही की पूर्णतया गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई एवं हालात् उच्चधिकारियों को अलग से निवेदन किये जायेगे। दिनांक 07.03.2024 को वक्त 5.30 ए.एम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस अन्य प्रकरण संख्या 101/2022 विरूद्व श्री सीताराम जे.टी.ए. एवं अन्य में

आरोपीगण के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति के सम्बध में श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जैसलमैर से विचार विमर्श हेतु तिथि पूर्व से तय होने से अभियोजन स्वीकृति विचार विमर्श हेतु जाना आवश्यक होने से मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस उक्त प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली के जिला परिषद् कार्यालय जैसलमैर रवाना हो रही हु। वक्त 11.15 पी एम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस अन्य प्रकरण संख्या 101/2022 विरूद्व श्री सीताराम जे.टी.ए. एवं अन्य में आरोपीगण के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति के सम्बध में श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जैसलमैर से विचार विमर्श हेतु गई हुई उपस्थित कार्यालय हुई। श्री रामकिशोर कानि.13 कार्यालय हाजा पर उपस्थित मिला एवं कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर स्वीच आफ सुदा मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कल दिनांक 06.03.2024 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु वक्त 2.15 पीएम पर रवाना होकर बालरवा बस स्टेण्ड पहुंचा जहा पर मेरे को परिवादी किशन उपस्थित मिला जिस पर मैं व परिवादी किशन बस स्टैण्ड बालरवा से परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना होकर पटवार मण्डल बालरवा के पास पहुचे जहां पर पटवार भवन बालरवा के ताला लगा हुआ होने से परिवादी ने अपने स्तर पटवारी की उपस्थिती के बारे में मालुमात किया तो पता चला कि पटवारी जी अभी थोडी देर पहले यहां से चले गये है। जिस पर संग्दिध श्रीमति सोनिया के उपस्थिति के बारे मे मालुम किया तो संदिग्ध आरोपियां श्रीमति सोनिया पटवारी कल दिनांक 07.03.2024 को ग्राम बालरवा में उपस्थित मिलेगी। आरोपिया के उपस्थित नहीं मिलने पर मेरे द्वारा डिजीटल वायस रिकार्डर चालू नहीं किया गया था। आपके निर्देशानुसार परिवादी किशन को ग्राम बालरवा मे ही कल दिनांक 07.03.2024 को बस स्टेण्ड पर ही मिलने की हिदायत कर वही छोडा जाकर मैं आपके निर्देशानुसार मेरे स्तर पर रात्रि मुकिम बालरवा में ही रहा था। दिनांक 07.03.2024 को मैं ग्राम बालरवा के बस स्टेण्ड पर पहुंचा तो पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी किशन उपस्थित मिला तथा मेरे को बताया कि मैने मेरे स्तर पर पटवारी जी का पता किया तो मालुम हुआ कि पटवारीजी अभी थोडी देर में पटवारघर बालरवा पर ही आयेंगे। जिस पर मै व परिवादी श्रीमति सोनिया पटवारी के आने का इन्तजार करते रहे। कुछ समय पश्चात श्रीमति सोनिया पटवारी के पटवार भवन बालरवा में उपस्थित आने पर मै व परिवादी पटवार भवन बालरवा के पास पहुचे तथा मैने डिजीटल वाॅयस रिकार्डर चालू कर परिवादी किशन को सुपुर्द कर पटवार भवन बालरवा के लिए रवाना किया तथा मै अपनी उपस्थित छुपाते हुए पटवार भवन बालरवा के आस-पास मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी किशन मेरे पास उपस्थित आया जिस पर मैने कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर लेकर स्वीच आफ कर अपने पास सुरक्षित रखा इसी दरम्यान परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरे व पटवारी श्रीमति सोनिया जी के बीच में मेरे रहननामा/रहनमुक्त, म्यूटेशन व नाम संशोधन के सम्बध में वार्ता हो गई तथा पटवारी जी ने मेरे रहननामा/रहनमुक्त व म्यूटेशन भरने की एवज में मेरे से 10,000/- रूपये रिष्वति राषि की मांग कर श्री गट्टू बन्ना को देने हेतु कहा गया है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वायस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो आरोपियां श्रीमति सोनिया पटवारी द्वारा परिवादी किशन से रहननामा/रहनमुक्त व म्यूटेशन भरने की एवज में 12,000/- रूपये की मांग करते हुए परिवादी के निवेदन पर 10,000/- रूपये रिश्वति राशि की मांग कर श्री गट्टू बन्ना को देने हेतु कहना पाया गया है। डिजीटल वायस रिकार्डर को स्वीच आफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। आईन्दा स्वतन्त्र गवाहान की तलबी की जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वति राशि मांग सत्यापन तैयार करने का निर्णय लिया गया। अब तक के हालात् उच्चाधिकारियों का निवेदन किये गये। दिनांक 11.03.2024 को वक्त 09.18 ए.एम. पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी किशन को उसके मोबाईल नम्बर 9001446500 पर सम्पर्क कर कार्यालय में उपस्थित आने के सम्बन्ध में वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मेरे परिवार में शादी होने से मैं आज नही आ सकता हुं। मैं कल दिनांक 12.03.2024 को सुबह आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी को हिदायत की गई कि आप आरोपिया को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 10,000/-रू. अपने साथ लेकर कल दिनांक 12.03.2024 को वक्त 9.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आवे साथ ही अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरती जावे। वक्त 2.00 पी.एम. पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड झालामण्ड जोधपुर के नाम से पत्र तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध करवाने बाबत श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13 को सुपुर्द कर रवाना किया गया। वक्त 3.20 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र की कार्यालय प्रति प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड झालामण्ड जोधपुर द्वारा श्री रामखिलाडी अभियन्ता पर्यवेक्षक (ई.एस.) व श्री अरूण गहलोत तकनिकी प्रथम को स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द किया गया है। जिस पर उक्त दोनों गवाहान से मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस ने जरिये मोबाईल वार्ता कर कल दिनांक 1203.2024 वक्त 9.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। वक्त 3.40 पी.एम. पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा टेप कार्यवाही में इमदाद हेतु अन्य निरीक्षक पुलिस की आवश्यकता होने से उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया जाने पर उच्चाधिकारियो के निर्देशानुसार श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही को कल दिनांक 12.03.2024 को कार्यालय में उपस्थित आने बाबत उनके मोबाईल पर सुचित किया गया। दिनांक 12.03.2024 वक्त 09.00 ए.एम.पर पूर्व से पाबन्द शुदा कार्यालय हाजा में उपस्थित जाप्ता हाजिर है।वक्त 09.20 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह कार्यालय पर उपस्थित आये। जिस पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना दोनो गवाहान

को परिचय दिया जाकर उनका बारी-बारी से परिचय पूछने पर अपना नाम श्री रामखिलाडी पुत्र श्री बद्रीलाल जाति मीणा उम्र 45 साल पैशा नौकरी निवासी मलारना चोड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल एच 45/3 सिटी होम नियर सुशान्त सिटी भाकरसनी हाल अभियन्ता पर्यवेक्षक (ई.एस.) कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि. जोधपुर झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 7568839878 एवं श्री अरूण गहलोत पुत्र श्री मदनलाल जाति माली उम्र 38 साल पैशा नौकरी निवासी ए-160 सरस्वती नगर पुलिस थाना भगत की कोठी जोधपुर हाल-तकनिकी प्रथम कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि. जोधपुर झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 8504004000 होना बताया। वक्त 10.00 ए.एम पर श्री पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही टेप कार्यवाही में इमदाद हेतु पूर्व से पाबन्द शुदा उपस्थित आये। वक्त 10.20 एएम पर पूर्व से पाबन्द षुदा परिवादी किषन कार्यालय हाजा पर उपस्थित तथा मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि श्रीमती सोनीया पटवारी को रिष्वत में दी जाने वाली रिष्वति राषि 10,000/रूपये अपने साथ लेकर आया हू जो मेरी जेब में रखे हुए है। वक्त 10.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान का मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी किशन का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी किशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई । तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर को निकालकर चालु कर उसमें परिवादी किशन एवं संदिग्ध आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा के मध्य हुई दिनांक 07.03.2024 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ, तसल्ली कर दोनो उक्त गवाहान ने परिवादी की टाईप शुदा रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। वक्त 10.50 एएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी किशन एवं आरोपिया श्रीमती सोनिया पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा तहसील तिवरी जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 07.03.2024 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे एचपी कम्पनी के 32 जीबी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर को मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया था। मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वायस रिकार्डर को अपनी अभिरक्षा से सुरक्षित निकालकर रूबरू गवाहान व परिवादी के डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से जोडकर मैमोरी कार्ड मे रिकोर्डेड उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.03.2024 को रुबरु दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के कम्प्युटर के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर श्री रामकिशोर कानि. 13 की सहायता से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की हु-ब-हु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। परिवादी किशन ने उक्त रिकार्ड वार्ता में एक आवाज आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी, तथा दूसरी आवाज अपनी स्वयं की होना बताया। उक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर मे लगे एचपी कम्पनी के 32 जीबी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ताओं की श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय के कम्प्युटर मे कापी करवाई जाकर उक्त वार्तालाप की कम्प्युटर की मदद से दो सीडीया तैयार करवाई गई। उक्त सीडियो को डब सीडिया मानते हुए सीडियो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीडियो को खुला ही रहने दिया गया। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर से मौमोरी कार्ड को बाहर निकाल कर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान व परिवादी के सुरक्षा की दृष्टि से उक्त मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक के कवर में डालकर एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त एचपी कम्पनी के 32 जीबी मेमोरी कार्ड में से 26.02 एमबी वार्ता रिकार्ड है तथा शेष खाली है। उक्त शील्ड सुदा मैमोरी कार्ड के पैकेट एवं दोनो डब सिडीया खुली हालात मे ही मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात वक्त 12.10 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी किशन को रूबरू गवाहान के रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा जाने पर परिवादी किशन ने आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 10,000/-रू 500-500 रू. के कुल 20 नोट रूबरू गवाहान के पेश किये। जिस पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि 10,000/-रुपये श्री ताराचन्द्र हैड कानि.112 को सुपुर्द कर उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया एवं परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रामखिलाडी से लिवाई गई तो परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसे निकाल कर देवे रिश्वति राशि लेन-देन के पश्चात आरोपियां द्वारा रिश्वति राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखती है अथवा कहां छुपाती है का पूर्ण ध्यान रखे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपियां द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने अपने दोनों हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेरकर या मन निरीक्षक

पुलिस के मोबाईल नम्बर 8890931693 पर मिस काल/काल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपियां व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन-देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को भली भांति समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत के काम मे लिये गये ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स मे रखवाया गया। जिस पुराने अखबार पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उस अखबार को रूबरू गवाहान ताराचन्द्र हैड कानि. 112 से जलवाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाई जाकर उनके मोबाईल फोन एवं विभागीय परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक राशि/सामग्री नही रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना मे सुरक्षित रखवाई जाकर हैड कानि. को कार्यालय मे रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 1.30 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल फोन श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से सम्पर्क कर एक महिला कानि. एवं सरकारी वाहन मय चालक की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार कानि. चालक श्री श्रवणकुमार को भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से सरकारी वाहन टवेरा लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 02.00 पीएम पर पाबन्द सुदा श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक कानि. श्री श्रवणकुमार कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से हाजर आये। वक्त 2.15 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी, श्री अरूण गहलोत, परिवादी किशन ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री अचलाराम हैड. कानि. 61, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि.13 संजय कानि. 587, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 एवं निजी वाहन केएसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से बालरवा के लिए रवाना हुए। वक्त 3.20 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी, श्री अरूण गहलोत, परिवादी किशन ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री अचलाराम हैड. कानि. 61, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि.13 संजय कानि. 587, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा. कानि. 510 एव निजी वाहन के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवाना सुदा बालरवा के पास पहुच सरकारी वाहन एवं निजी वाहन को रोड के एक तरफ खडा करवाया जाकर आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी की उपस्थित के बारे में परिवादी किशन से मालुमात करवाया गया तो परिवादी ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से आरोपिया का मालुमात कर बताया कि पटवारी जी अभी सरकारी काम से कस्बा तिंवरी गई हुई है जिस पर आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी के ग्राम बालरवा में आने के ईन्तजार में मुकिम रहे। वक्त 5.00 पीएम तक आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा के आने के ईन्तजार में मुकिम रहे आरोपिया के ग्राम बालरवा में उपस्थित नहीं आने पर परिवादी से पुनः मालुमात करवाया गया तो परिवादी ने बताया कि पटवारी श्रीमति सोनिया कस्बा तिंवरी से जोधपुर के लिये निकल चुकी है। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नहीं होने से आईन्दा अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर हालात् उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। वक्त 5.10 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी, श्री अरूण गहलोत, परिवादी किशन ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री अचलाराम हैड. कानि. 61, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि.13 संजय कानि. 587, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 एवं निजी वाहन के ग्राम बालरवा से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना हुए। वक्त 6.10 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी, श्री अरूण गहलोत, परिवादी किशन ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री अचलाराम हैड. कानि. 61, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि.13 संजय कानि. 587, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 तथा निजी

वाहन के ग्राम बालरवा से रवाना सुदा एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पहुचे। तत्पश्चात गवाह श्री रामखिलाडी से परिवादी के पहनी हुई जिन्स पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में रखी रिश्वति राशि रूपये 10,000/-को निकलवाया जाकर एक सफेद कागज के लिफाफे में डलवाया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखवाया जाकर अलमारी के ताला लगवाया जाकर अलमारी की चाबी जुम्मे स्वंय ली गई। वक्त 6.30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान श्री रामखिलाडी, श्री अरूण गहलोत को आईन्दा अग्रिम कार्यवाही हेतु तलब करने पर कार्यालय में उपस्थित आने एवं परिवादी किशन को आरोपिया द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस को सुचित करने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रवाना किया गया साथ ही श्रीमति सुशीला महिला कानि 103 को भी जाय तैनाती रवाना किया गया। दिनांक 13.03.2024 को वक्त 1.55 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी किशन ने अपने मोबाईल से काल कर अवगत करवाया कि मैने मेरे स्तर पर आज पटवारी जी श्रीमति सोनिया जी के बारे में मालुमात किया तो पता चला कि पटवारी जी कल दिनांक 14.03.2024 को ग्राम बालरवा में आयेगी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी किशन को पाबन्द किया गया कि आप कल दिनांक 14.03.2024 को ग्राम बालरवा के बस स्टैण्ड के पास उपस्थित मिले तथा आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी की उपस्थिति के बारे में पूर्ण मालुमात करने एवं आरोपिया द्वारा आपसे सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाया जावे एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरती जाये। अब तक के हालात् उच्च अधिकारियो को निवेदन किये गये। वक्त 7.35 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कल दिनांक 14.03.2024 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से स्वतन्त्र गवाहान श्री रामखिलाडी, श्री अरूण गहलोत एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर को उनके मोबाईल पर सम्पर्क कर कल दिनांक 14.03.2024 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय में वक्त 9.30 एएम पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया साथ ही ब्यूरो जाब्ता को भी अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय में वक्त 9.30 एएम उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 14.03.2024 को वक्त 10.00 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री रामखिलाडी व श्री अरूण गहलोत कार्यालय पर उपस्थित आये। वक्त 10.15 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्रीमति सुशीला महिला कानि 103 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आई। वक्त 10.50 एएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा तिंवरी जोधपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि कार्यालय हाजा की अलमारी का ताला गवाह श्री रामखिलाडी से खुलवाया जाकर अलमारी में रखे रिश्वति राशि के सफेद कागज के लिफाफे को निकलवाया जाकर उक्त लिफाफे को स्वतन्त्र गवाह श्री रामखिलाडी को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मय रिश्वति राशि, श्री अरूण गहलोत, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि.13 संजय कानि. 587, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 एवं निजी वाहन के कार्यालय हाजा से ग्राम बालरवा के लिए रवाना हुए। वक्त 12.10 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मय रिश्वति राशि, श्री अरूण गहलोत, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि.13 संजय कानि. 587, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 एवं निजी वाहन के रवाना शुदा कस्बा बालरवा पहुंचकर परिवादी किशन से उसके मोबाईल पर सम्पर्क कर उपस्थित आने एवं संदिग्ध श्रीमति सोनिया पटवारी की उपस्थिति के बारे में कहा गया तो परिवादी ने बताया कि अभी-अभी मैने मेरे स्तर पर पटवारीजी के बारे में मालुमात किया तो पता चला कि आज पटवारीजी ग्राम बालरवा या तहसील कार्यालय तिंवरी पर नहीं आयेगें उनके घर पर कोई काम है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को निर्देशित किया कि आप जब भी आरोपिया श्रीमति सोनिया के उपस्थित आवे तो मन् निरीक्षक पुलिस को सूचित करे एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखे। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हालात् उच्च अधिकारियों को निवेदन किये जाकर आईन्दा अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वक्त 1.30 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मय रिश्वति राशि, श्री अरूण गहलोत, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि.13 संजय कानि. 587, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 एवं निजी वाहन के ग्राम बालरवा से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुए। वक्त 3.00 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, श्री

पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मय रिश्वति राशि, श्री अरूण गहलोत, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री ओमप्रकाश कानि. 471, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री रामकिशोर कानि.13 संजय कानि. 587, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 तथा निजी वाहन के ग्राम बालरवा से रवाना सुदा एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पहुचे। तत्पश्चात गवाह श्री रामखिलाडी के पास सुरक्षित रखे सफेद कागज का लिफाफा जिसमें रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रूपये है उक्त लिफाफे को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय हाजा की अलमारी में स्वतंत्र गवाह श्री रामखिलाडी से सुरक्षित रखवाकर अलमारी के ताला लगवाया जाकर अलमारी की चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वंय के जुम्मे ली गई तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। दिनांक 15.03.2024 को वक्त 12.00 पीएम पर परिवादी किशन ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल काल कर बताया कि मेरे घर पर एवं रिश्तेदारी में काम होने से तथा नजदीक ही होली का पर्व होने से मैं आने में असमर्थ हुं। मै होली के पश्चात जल्दी ही मै आपके पास इस कार्यवाही को करवाने के लिए आ जाउगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर हालात् उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 26.03.2024 को वक्त 11.40 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी किशन को जरिये मोबाईल काल कर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आने हेतु कहा गया तो परिवादी किशन ने बताया कि मै मेरे खेती बाडी के कार्य में व्यस्त हुं तथा फसल की कटाई करवा कर शीघ्र ही मैं आपके पास अग्रीम कार्यवाही करवाने हेतु उपस्थित आ जाउंगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर हालात् उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 16.04.2024 को वक्त 04.15 पीएम पर परिवादी किशन कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं मेरी खेतीबाडी के कार्य में व्यस्थ था, अब मेरे खेती का कार्य पूर्ण हो गया है। मैं पटवारी श्रीमति सोनिया जी से कुछ दिन पहले मिला था तब पटवारी जी ने मेरे को कहा कि आपका काम हो गया है आप तो पूर्व में अपने मध्य तय हुई राशि 10,000/रू लेकर बुलाया हैं। जिस पर परिवादी को दिनांक 18.04.2024 को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पाबन्द कर गोपनीयता करतने की हिदायत कर रवाना किया एवं हालात उचाधिकारियों को निवेदन किये। दिनांक 17.04.2024 को वक्त 08.17 पीएम पर परिवादी किशन ने मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस को वक्त 8.11 पीएम पर अपने मोबाईल नं. 9001446500 से काल किया। परिवादी के उक्त काल पर वार्ता नही होने पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के उक्त मोबाईल नं0 9001446500 पर काल कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैने मेरे स्तर पर पता किया है श्रीमति सोनिया पटवारी जी सुबह दिनांक 18.04.2024 को बालरवा आयेंगे।, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को कल दिनांक 18.04.2024 को सुबह ग्राम बालरवा में उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द कर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 18.04.2024 को वक्त 10.02 एएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी किशन को उनके मोबाईल फोन पर सम्पर्क कर आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी की ग्राम बालरवा में उपस्थिति के बारे में मालुमात कर अवगत करवानें हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 11.32 एएम पर परिवादी किशन ने अपने मोबाईल फोन से मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर काल कर बताया कि मेरे द्वारा मेरे स्तर पर मालूम करने पर जानकारी में आया हैं कि आज श्रीमति सोनिया पटवारी पटवार भवन बालरवा में नहीं आयेगी। जिस पर आज दिनांक को अग्रिम टेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर आईन्दा श्रीमति सोनिया पटवारी की बालरवा में उपस्थिति की जानकारी कर मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 22.04.2024 को वक्त 10.41 एएम पर परिवादी किशन ने अपने मोबाईल नं. 9001446500 से मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर काल कर बताया कि श्रीमति सोनिया पटवारी जी ने मुझे आज रिश्वति राशि 10,000 /रूपये लेकर तहसील कार्यालय तिंवरी बुलाया है। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। चुकि कार्यालय हाजा का जाब्ता लोकसभा चुनाव 2024 की चुनाव डयुटी में उदयपुर होने से ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु जाब्ता उपलब्ध करवाने हेतु तथा परिवादी के द्वारा बताये गये हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर को उनके कार्यालय से श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि. को ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। तथा पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह श्री अरूण गहलोत एवं श्री रामखिलाडी को उनके मोबाईल फोन पर सम्पर्क कर कार्यालय में तुरन्त उपस्थित आने बाबत पाबन्द किया गया। वक्त 11.00 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार भ्र. नि. ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से एक महिला कानि. एवं सरकारी वाहन की ट्रेप कार्यवाही में आवश्यकता होने से कानि. चालक श्री श्रवणकुमार को भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से सरकारी वाहन टवेरा वएक महिला कानि को लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 11.30 एएम पूर्व से पाबन्द शुदा गवाह श्री अरूण गहलोत एवं श्री रामखिलाडी मीण कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। वक्त 11.35 एएम पर श्री श्रवणकुमार कानि. चालक कार्यालय भ्र. नि. ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर से श्रीमति सुशीला महिला कानि. एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर.जे.14 यू.सी. 8906 को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। तथा कार्यालय उप महानिरीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो

जोधपुर कार्यालय से श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि. को ट्रेप कार्यवाही में साथ चलने हेतु पावटा चैराहे पर मिलने हेतु पाबन्द किया गया। वक्त 11.50 एएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा तिंवरी जोधपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि कार्यालय हाजा की अलमारी का ताला गवाह श्री रामखिलाडी से खुलवाया जाकर अलमारी में रखे रिश्वति राशि के सफेद कागज के लिफाफे को निकलवाया जाकर उक्त लिफाफे को स्वतन्त्र गवाह श्री रामखिलाडी को सुपुर्द किया गया। तथा कार्यालय उप महानिरीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर कार्यालय से श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि. को ट्रेप कार्यवाही में साथ चलने हेतु पावटा चैराहे पर मिलने हेतु पाबन्द कर तत्पश्चात मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मय रिश्वति राशिके लिफाफा के, श्री अरूण गहलोत, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक,, श्री ओमप्रकाश कानिष्ठ लिपिक, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8906 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 एवं अपने निजी वाहन के ब्यूरो कार्यालय से पावटा चैराहा व कस्बा तिंवरी के लिए रवाना हुए। वक्त 12.05 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त समस्त हमराहीयान के जरिये वाहनो के फिकरा उपरोक्त के कार्यालय से रवाना होकर पावटा चैराहा जोधपुर पहुचें जहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि. पावटा चैराहे पर उपस्थित मिले जिन्हे हमराह लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के जरिये वाहनो के कस्बा तिंवरी के लिए रवाना हुए। वक्त 12.53 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी किशन के मोबाईल नं. 9001446500 काल कर परिवादी को कस्बा तंवरी से 03 किलोमीटर पहले मथानिया की तरफ गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 22.04.2024 को वक्त 01..25 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मय रिश्वति राशि के लिफाफा के, श्री अरूण गहलोत, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि, श्री ओमप्रकाश कानिष्ठ लिपिक, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 के तिवरी से 03 किलोमीटर पहले गोपनीय स्थान पर पहुंचे जहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी किशन अपनी निजी मोटरसाईकिल के उपस्थित मिला। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो वाहनो को रोड़ के किनारे सुरक्षित खड़ा करवाया गया। परिवादी श्री किशन ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया की श्रीमति सोनीया पटवारी जी ने मुझे आज रिश्वति राशि 10,000/रूपये लेकर तहसील कार्यालय तिंवरी बुलाया है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी किशन मय समस्त हमराहीयान के जरिये वाहनो के कस्बा तिंवरी के लिए रवाना हुए। वक्त 01..40 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी किशन मय समस्त हमराहीयान के जरिये वाहनो के तहसील कार्यालय तिंवरी के पास गोपनीय स्थान पर पहुच दोनो वाहनो को रोड़ के किनारे सुरक्षित खड़ा करवाया गया। तथा श्रीमति सोनीया पटवारी की उपस्थिति तहसील कार्यालय तिंवरी में होने की गोपनीय रूप से मालुमात करने हेतु परिवादी किशन को उसकी मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय तिंवरी की तरफ किया गया। वक्त 01..50 पीएम पर परिवादी किशन मय अपनी मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय तिंवरी से मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया व बताया कि मैने तहसील कार्यालय तिंवरी में जाकर श्रीमति सोनीया पटवारी जी की उपस्थिति बाबत मालुम किया तो श्रीमति सोनीया पटवारी तहसील कार्यालय तिंवरी में उपस्थित नही है वे कही बाहर गई हुई है। परिवादी के बताये अनुसार आरोपीया श्रीमति सोनीया पटवारी तहसील कार्यालय तिंवरी में उपस्थित नही होने से आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन किया गये। तथा परिवादी किशन को अब तक की कार्यवाही की गोपनियता रखने एवं आरोपीया श्रीमति सोनीया पटवारी से सम्पर्क हाने पर मन् निरीक्षक पुलिस को सुचित करने अथवा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की हिदायत कर परिवादी किशन को रूखसत किया गया। दिनांक 22.04.2024 को वक्त 02.25 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मय रिश्वति राशि के लिफाफा, श्री अरूण गहलोत, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री मोहनराम सहा. उप. निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि. श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ लिपिक एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8906 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 एवं निजी वाहन के ग्राम कस्बा तिंवरी से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुए। वक्त 04.15 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मय रिश्वति राशि के लिफाफा, श्री अरूण गहलोत, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री मोहनराम सहा. उप. निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि. श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ लिपिक एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8906 मय श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. 510 एवं निजी वाहन के कस्बा तिंवरी से रवाना सुदा एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पहुचे। तत्पश्चात गवाह श्री रामखिलाडी के पास सुरक्षित रखे सफेद कागज का

लिफाफा जिसमें रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/- रूपये है उक्त लिफाफे को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय हाजा की अलमारी में स्वतंत्र गवाह श्री रामखिलाडी से सुरक्षित रखवाकर अलमारी के ताला लगवाया जाकर अलमारी की चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने स्वंय के जुम्मे ली गई तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। दिनांक 24.04.2024 को वक्त 11.45 एएम पर परिवादी किशन ने अपने मोबाईल से मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वाट्सअप काल कर बताया कि श्रीमति सोनिया पटवारी जी ने मुझे आज अपने मोबईल फोन से मेरे मोबईल पर काल कर आज रिश्वति राशि 10,000/रूपये लेकर पटवार कार्यालय बालरवा में बुलाया है। जिस मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा परिवादी किशन को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आज दिनांक 24.04.2024 को दोपहर तक कस्बा तिंवरी में पहुचने एवं कस्बा तिंवरी के बाहर बालरवा रोड पर परिवादी किशन को अपनी मोटरसाईकिल सहित मिलने की एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई एवं स्वतंत्र गवाहान श्री अरूण गहलोत एवं श्री रामखिलाडी मीणा को उनके मोबाईल फोन पर सम्पर्क कर कार्यालय में तुरन्त उपस्थित आने बाबत पाबन्द किया गया। तथा श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यरो जोधपुर कार्यालय के श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस व श्री प्रकाश कनिष्ठ लिपिक तथा श्रीमति सुशीला महिला कानि. एसीबी चैकी एसयू जोधपुर को कार्यालय हाजा में तुरन्त उपस्थित आने हेतु जरिये फोन पाबन्द किया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। वक्त 12.35 पीएम पर इस समय पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री अरूण गहलोत एवं श्री रामखिलाडी मीणा कार्यालय पर उपस्थित आये। वक्त 12.40 पीएम पर श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर कार्यालय से श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस मय श्री प्रकाश कनिष्ठ लिपिक तथा श्रीमति सुशीला महिला कानि. एसीबी चैकी एसयू जोधपुर से कार्यालय हाजा उपस्थित आये। वक्त 12.45 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया श्रीमति सोनिया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा तिंवरी जोधपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखी उक्त अलमारी का ताला गवाह श्री रामखिलाडी से खुलवाया जाकर अलमारी में रखे रिश्वति राशि 10,000/रूपये के सफेद कागज के लिफाफे को निकलवाया जाकर उक्त सफेद लिफाफे को स्वतन्त्र गवाह श्री रामखिलाडी को सुपुर्द किया गया। इसके बाद मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मय रिश्वति राशि के लिफाफा के, श्री अरूण गहलोत, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, श्री प्रकाश कनिष्ठ लिपिक, श्री ओमप्रकाश कानिष्ठ लिपिक, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8906 एवं निजी वाहन के ब्यूरो कार्यालय से कस्बा तिंवरी व ग्राम बालरवा के लिए रवाना हुए। वक्त 02.05 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त समस्त हमराहीयान के जरिये वाहनो के फिकरा उपरोक्त के कार्यालय से रवाना होकर कस्बा तिंवरी के बाहर बालरवा रोड़ पर पहुचे जहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी किशन उपस्थित मिला। जिस पर वाहनो को रोड़ के किनारे सुरक्षित खड़ा करवाया गया। परिवादी किशन ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया की श्रीमति सोनिया पटवारी जी ने आज अपने मोबईल नम्बर 9680130470 से मेरे मोबईल नम्बर 9001446500 पर काल कर मुझे आज रिश्वति राशि 10,000 /रूपये लेकर तहसील कार्यालय बालरवा में बुलाया है। दिनांक 24.04.2024 को वक्त 2.18 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा गवाह श्री अरूण गहलोत से परिवादी किशन की तलाशी लिवाई गई तथा परिवादी के पास माबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई तथा गवाह श्री रामखिलाडी मीणा के पास सुरक्षित रखे रिश्वति राशि 10,000 /रूपये के सफेद कागज के लिफाफे में से रिश्वति राशि 10,000/रूपये गवाह श्री रामखिलाड़ी मीणा से निकलवाकर परिवादी किशन के पहनी हुई पेन्ट की दाहीनी जेब में रखवाई गई। उक्त सफेद लिफाफे को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा गवाह श्री रामखिलाडी के दोनो हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये तथा आरोपीया द्वारा मांगने पर ही उसे निकाल कर देवे रिश्वति राशि लेन-देन के पश्चात आरोपियां द्वारा रिश्वति राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखती है अथवा कहां छुपाती है का पूर्ण ध्यान रखे तथा आरोपियां द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने अपने दोनों हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस काल/काल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपियां व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन-देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत दी गई। वक्त 2.24 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपीया सोनीया पटवारी की पटवार कार्यालय बालरवा में उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी श्री किशन के मोबाईल नम्बर 9001446500 से अरोपीया सोनीया पटवारी के मोबाईल नम्बर 9680130470 पर काल करवा कर कार्यालय हाजा के डिजीटल वाईस रिकार्डर को आन करवाकर के उक्त वार्ता को रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। दौराने वार्ता परिवादी ने सोनीया पटवारी से पूछा की कहा हो मैडम जिस पर सोनीया पटवारी ने कहा की मै पटवार घर बालरवा में हू आप आ जाओ 3.30 बजं में निकल जाउगी। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 24.04.2024 को वक्त 2.28 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ लिपिक को परिवादी किशन के साथ उसकी मोटरसाइकिल से ग्राम बालरवा के लिये रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन्

निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान जरिये सरकारी वाहन व निजी वाहन के रवाना ग्राम बालरवा को हुए। वक्त 2.35 पीएम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के सरकारी वाहन व निजी वाहन से एवं परिवादी किशन व श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ लिपिक को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से फिकरा उपरोक्त. के रवाना सुदा ग्राम बालरवा के पास पहुचे जहा पर वाहनो को रोड़ के किनारे खड़ा करवाकर मन् निरीक्षक द्वारा श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ लिपिक को कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर जिसमें मेमोरी कार्ड है सुपुर्द कर ग्राम पटवार कार्यालय बालरवा के पास पहुंच कर डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी किशन को सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी किशन के साथ उसकी मोटरसाइकिल के ग्राम पटवार कार्यालय बालरवा के लिये रवाना कर परिवादी के पीछे-पीछे श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक एवं गवाह श्री अरूण गहलोत को पैदल रवाना कर श्री श्रवणकुमार कानि. चालक को मय सरकारी वाहन के ग्राम बालरवा में पटवार कार्यालय के पास गोपनीय स्थान पर खड़ा रहने कि हिदायत कर पटवार कार्यालय बालरवा की तरफ रवाना कर इनके पिछे-पिछे मन् निरीक्षक पुलिस शेष ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान रामखिलाड़ी मीणा के जरिये निजी वाहन के रवाना पटवार कार्यालय बालरवा को हुए। वक्त 02.40 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, सुशीला महिला कानि व स्वतन्त्र गवाहान रामखिलाड़ी मीणा के जरिये निजी वाहन गोपनीय रूप से पटवार कार्यालय बालरवा के पास पहुंच निजी वाहन को सड़क के किनारे गोपनीय रूप से खड़ा करवाकर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए निजी वाहन में ही बैठकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। दिनांक 24.04.2024 को वक्त 03.35 पीएम दर्ज रहे कि वक्त 03.19 पीएम पर परिवादी श्री किशन पुत्र श्री हनुमानराम, उम्र 25, निवासी हरिसागर कृषि फार्म, ग्राम बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर ने मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को पूर्व मे निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 90014-46500 से काल कर बताया कि आरोपिया द्वारा रिश्वती राशि 10,000 रू. अपने पास खड़े व्यक्ति श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना को दिलवाये हैं, एवं उक्त श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना एवं सुश्री सोनिया, पटवारी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना की स्कूटी पर बैठ कर बस स्टाप बालरवा की तरफ रवाना हुए हैं। इसी दौरान पटवार घर बालरवा से स्कूटी पर एक व्यक्ति एवं एक महिला रवाना हुए जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के पटवार घर बालरवा से बस स्टाप बालरवा की तरफ स्कूटी के पीछे-पीछे जरिये निजी वाहन के रवाना हो एस.बी.आई. बैंक के पास बस स्टाप बालरवा पर पंहुचे। इसी दौरान परिवादी श्री किशन भी अपनी निजी मोटर साईकिल से पीछे-पीछे बस स्टाप पर पंहुचा जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर लेकर स्वीच आफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। आईन्दा डिजिटल वायस रिकार्डर मे रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिट तैयार करने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने स्कूटी के पास खड़े एक पुरूष व एक महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सुश्री सोनिया, पटवारी एवं श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना, ई-मित्र संचालक हैं इन्होने अभी-अभी मेरे से पटवार भवन बालरवा में रिश्वती राशि मांग कर श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना को दिलवाये। श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना ने रिश्वती राशि प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं। जिस पर स्कूटी के पास खड़े व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र 35, निवासी 336 सुथारों की ढाणी बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर हाल ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति) होना बताया एवं स्कूटी के पास खड़ी महिला को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमरायान का परिचय दिया जाकर उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम सुश्री सोनिया पुत्री श्री कैलाश रेगर, उम्र 29, निवासी ग्राम गुलगांव, तहसील व जिला केकड़ी हाल निवासी किराये का मकान श्री रमेश परिहार का मकान, एस.बी.आई. बैंक वाली गली, सुरसागर जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया सुश्री सोनिया, पटवारी से श्री किशन की तरफ ईशारा कर पूछा कि क्या आप इन्हे जानते हैं, जिस पर सुश्री सोनिया, पटवारी ने बताया कि हां मै इन्हे जानती हूं, यहं श्री किशन हैं एवं बालरवा का ही निवासी हैं, जिस पर सुश्री सोनिया, पटवारी को श्री किशन से रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछने पर सुश्री सोनिया, पटवारी ने श्री किशन से किसी प्रकार की रिश्वती राशि लेने से इन्कार किया, जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री किशन ने आरोपिया सुश्री सोनिया, पटवारी के कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि अभी थोड़ी देर पहले सुश्री सोनिया, पटवारी ने पटवार भवन बालरवा में रिश्वती राशि मेरे से मांगकर अपने पास खड़े श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना को दिलवाये हैं। जिस पर श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना को पास ही खड़े परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा कि आप इन्हे जानते हो जिस पर बताया कि हां मैं श्री किशन को अच्छी तरह से जानता हूं, यहं मेरे गांव का ही निवासी हैं। जिस पर श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना से परिवादी श्री किशन से रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछने पर श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना ने बताया कि मैने सुश्री सोनिया, पटवारी हल्का बालरवा के कहने पर श्री किशन से 10,000 रू. प्राप्त कर गिनकर मेरे पहनी हुई पेंट के पीछे की दाहिनीं जेब में रखे हैं। यह पैसे मैने सुश्री सोनिया, पटवारी के कहे अनुसार श्री किशन से प्राप्त किये हैं। यहं राशि पटवारी सुश्री सोनिया द्वारा श्री किशन से किसलिए मुझे दिलवायी गयी इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं हैं। 1-2 बार पहले भी सुश्री सोनिया, पटवारी ने मेरे से मेरी एस.बी. आई. कीयोस्क (सी.एस.पी.) से जरिये अपनी मां के खाते में पैसे ट्रांसफर करवाती हैं। श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टु बन्ना

द्वारा परिवादी श्री किशन से 10,000 रू. रिश्वती राशि प्राप्त करना स्वीकार करने पर श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टु बन्ना के दोनो हाथ कलाईयो के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकडवाये गये। उक्त स्थान सार्वजनिक बस स्टाप होकर भिड़भाड़ होने एवं कार्यवाही करने हेतु उपयुक्त जगह नही होने से अग्रिम टेप कार्यवाही पुलिस चैकी तिंवरी में करने का निर्णय लिया जाकर सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टु बन्ना को श्री मेघराज, स.उ.नि. मय ब्यूरों जाब्ता के साथ जरिये सरकारी वाहन, परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से पुलिस चैकी तिंवरी के लिए रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता एवं आरोपिया सुश्री सोनिया, पटवारी एवं परिवादी पुलिस चैकी तिंवरी के लिए रवाना हो पुलिस चैकी तिंवरी पंहुचे जहां पर चैकी प्रभारी श्री मोती सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस उपस्थित मिले जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर अग्रिम टेप कार्यवाही पुलिस चैकी तिंवरी में करने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त की गई। तत्पश्चात मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस ने अपना, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर पुनः उक्त व्यक्ति से परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र 35, निवासी 336 सुथारों की ढाणी बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर हाल ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा होना बताया, तथा महिला से परिचय पूछने पर महिला ने अपना नाम सुश्री सोनिया पुत्री श्री कैलाश रेगर, उम्र 29, निवासी ग्राम गुलगांव, तहसील व जिला केकड़ी हाल निवासी किराये का मकान श्री रमेश परिहार का मकान, एस.बी.आई. बैंक वाली गली, सुरसागर जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर होना बताया। तत्पश्चात मन अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस ने श्री किशन की तरफ ईशारा कर सुश्री सोनिया हाल पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर से पूछने पर बताया कि मैं जानती हूं यह श्री किशन हैं, तत्पश्चात् सुश्री सोनिया से श्री किशन से रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछने पर सुश्री सोनिया ने परिवादी श्री किशन से किसी प्रकार की रिश्वती राशि प्राप्त करने से इन्कार किया, एवं परिवाद के कार्य के संबंध में पूछने पर बताया कि श्री किशन द्वारा दिये गये समस्त दस्तावेजो का नामातरण मेरे द्वारा पूर्व में ही कर दिया गया हैं। वर्तमान में मेरे पास श्री किशन से संबंधित कोई कार्य नही हैं। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री किशन ने सुश्री सोनिया पटवारी के कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि सुश्री सोनिया, पटवारी ने आज मुझे अपने मोबाईल फोन से मेरे मोबाईल पर काल कर मेरे म्यूटेशन भरने एवं आनलाईन रहन मुक्ती म्यूटेशन भरने की एवज में रिश्वती राशि 10,000 रू. लेकर पटवार भवन बालरवा में बुलाया था। जिस पर आज थोड़ी देर पहले रिश्वत राशि लेकर पटवार भवन पंहुचा तो सुश्री सोनिया, पटवारी जी ने मेरे से रिश्वत राशि मांग कर अपने पास खड़े श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना को दिलवाये हैं। तत्पश्चात् सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र 35, निवासी 336 सुथारों की ढाणी बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर हाल ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा से परिवादी श्री किशन की तरफ ईशारा कर पूछा गया कि आप इनको जानते हो। जिस पर सहआरोपी विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना ने बताया कि यह श्री किशन हैं, तथा हमारे गांव का ही हैं, मै इसे हमारे गांव का होने के कारण अच्छी तरह जानता हूं। जिस पर श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना से परिवादी श्री किशन से रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछने पर श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना ने रूबरू गवाहान व परिवादी के बताया कि आज मैं मेरे बालरवा स्थित ई-मित्र पर बैठा था, इस दौरान सुश्री सोनिया, पटवारी जी ने अपने मोबाईल नं. 96801-30470 से मेरे मोबाईल नं. 91661-49017 पर काल कर मुझे पटवार घर बालरवा में बुलाया जाने पर मै पटवार घर बालरवा में गया था। मेरे पटवार घर में जाने के कुछ देर बाद श्री किशन भी पटवार घर बालरवा में आया था। श्री किशन के पटवारी घर में आने के बाद श्री किशन से 10,000 रू. मुझे दिये थे, यह राशि मैने सुश्री सोनिया, पटवारी हल्का बालरवा के कहने पर श्री किशन से 10,000 रू. प्राप्त कर गिनकर मेरे पहनी हुई पेंट के पीछे की दाहिनीं जेब में रखे हैं। यह पैसे मैने सुश्री सोनिया, पटवारी के कहे अनुसार श्री किशन से प्राप्त किये हैं। यहं राशि पटवारी सुश्री सोनिया द्वारा श्री किशन से किसलिए मुझे दिलवायी गयी हैं। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं हैं। जिस पर पुनः रूबरू श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना के आरोपिया सुश्री सोनिया, पटवारी से श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना द्वारा बताये गये तथ्यों के संबंध में पूछने पर सुश्री सोनिया, पटवारी चुप रही व गलती हो गई व माफी चाहती हूं। तत्पश्चात् हालात उच्च अधिकारियो को निवेदन किये जाकर मन निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता दोनो मौतबिरान, परिवादी एवं आरोपी के रुबरु सरकारी वाहन बोलेरो से ट्रेप बाक्स मंगवाया जाकर सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। टेप बाक्स में से दो प्लास्टिक (यूज एण्ड थ्रो) के नये साफ पारदर्शी गिलास निकाल कर उक्त गिलासो में पुलिस चैकी तिंवरी से पीने के पानी के कैम्पर से पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो प्लास्टिक की गिलासों में पानी भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने गिलासो के उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार घोल के एक गिलास मे सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना (प्राईवेट व्यक्ति) के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग का ॅच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे प्लास्टिक के गिलास मे तैयार घोल में सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ

गट्टू बन्ना (प्राईवेट व्यक्ति) के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। ताबाद मन अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना (प्राईवेट व्यक्ति) की जामा तलासी स्वतंत्र गवाह श्री रामखिलाड़ी से लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे से 500-500 रुपये के नोटो का एक बण्डल मिला जिस पर मन अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी रिश्वती राशि निकलवाकर गवाह श्री अरूण गहलोत को सुपुर्द कर गवाह श्री रामखिलाड़ी से उक्त रिश्वती राशि के नम्बर बोल-बोल कर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। नोटो के नम्बर निम्नानुसार हैं- 1.500 रूपये का एक नोट नम्बर-7NV107066 2.500 रूपये का एक नोट नम्बर-6AB 876891 3.500 रूपये का एक नोट नम्बर-0EP030951 4.500 रूपये का एक नोट नम्बर-5BB 491586 05.500 रूपये का एक नोट नम्बर-3NC054199 6.500 रूपये का एक नोट नम्बर-4QV 886025 7.500 रूपये का एक नोट नम्बर-3EN 370870 8.500 रूपये का एक नोट नम्बर-5BD 468617 9.500 रूपये का एक नोट नम्बर-3BT 997006 10.500 रूपये का एक नोट नम्बर-9DA 589231 11.500 रूपये का एक नोट नम्बर-6NH 945689 12.500 रूपये का एक नोट नम्बर-5UT 419712 13.500 रूपये का एक नोट नम्बर-1KQ 627647 14.500 रूपये का एक नोट नम्बर-5CS 259477 15.500 रूपये का एक नोट नम्बर-2KV 211575 16.500 रूपये का एक नोट नम्बर-4NM 992387 17.500 रूपये का एक नोट नम्बर-7GK 344122 18.500 रूपये का एक नोट नम्बर-2KT 160213 19.500 रूपये का एक नोट नम्बर-4GM 750657 20.500 रूपये का एक नोट नम्बर-5TB 262939 उक्त बरामद सुदा रिश्वती राशि 500-500 रुपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/- रू. रिश्वती राशि के नोटो को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना के पहनने हेतु एक लोअर की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी के पहनी हुई पेन्ट उतरवाई जाकर लोअर पहनाया गया। तत्पश्चात मन अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप बाक्स में से एक प्लास्टिक (यूज एण्ड थ्रो) की नई साफ पारदर्शी गिलास निकाल कर उक्त गिलास मे पुलिस चैकी तिंवरी मे रखे कैम्पर मे से पीने का साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डाल कर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन गिलास के घोल मे सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना की उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर गिलास के उक्त घोल मे डूबोवाकर धुलवाया गया तो उक्त घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त पेन्ट की उक्त जेब को सुखाया जाकर पेन्ट की जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली मे डालकर थैली को शील्ड कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क-पी अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। अब तक की कार्यवाही से आरोपिया सुश्री सोनिया पुत्री श्री कैलाश रेगर, उम्र 29, निवासी ग्राम गुलगांव, तहसील व जिला केकड़ी हाल निवासी किराये का मकान श्री रमेश परिहार का मकान, एस.बी.आई. बैंक वाली गली, सुरसागर जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर एवं सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र 35, निवासी 336 सुथारों की ढाणी बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर हाल ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) का अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) सहपठित धारा 120बी भा.द.स. का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही पृथक से तैयार कर विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। दिनांक 24.04.2024 को वक्त 06.05 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस कों परिवादी किशन व दोनों स्वतन्त्र गवाह की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब करना है जिस पर दोनों आरोपीण सूश्री सोनीया पटवारी को श्रीमति सुशीला म. कानि. एवं श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक कों श्री विजयवीरसिह उर्फ गट्टू बन्ना प्राईवेट व्यक्ति दलाल व टेप बाक्स सुपुर्द कर नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब करनें हेतु श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस के दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी सहित पटवार कार्यालय बालरवा की चाबी सहित सरकारी टवेरा मय चालक कें रवाना बालरवा को हुए। वक्त 06.15 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा पटवार कार्यालय बालरवा पहुच परिवादी किशन की निषादेही पर रूबरू गवाहान के घटना स्थल का नक्षा मौका मुर्तिब कर करना शुरू किया गया। वक्त 06.45 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के घटना स्थल का नक्षा मौका मुर्तिब कर पुनः पुलिस चैकी तिंवरी को जरिये सरकारी वाहन टवेरा से

रवाना हुए। वक्त 06.55 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा पुलिस चैकी तिंवरी पहुच दस्तयाब शुदा दोनो आरोपीगण सूश्री सोनीया पटवारी को एवं श्री विजयवीरसिह उर्फ गट्टू बन्ना प्राईवेट व्यक्ति दलाल व टेप बाक्स मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया गया। वक्त 07.15 पीएम पर बाद पूछताछ के आरोपिया सुश्री सोनिया पुत्री श्री कैलाश रेगर, उम्र 29, निवासी ग्राम गुलगांव, तहसील व जिला केकड़ी हाल निवासी किराये का मकान श्री रमेश परिहार का मकान, एस.बी.आई. बैंक वाली गली, सुरसागर जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर षामिल रंनिग नोट की गयी। दिनांक 24.04.2024 को वक्त 07.40 पीएम पर बाद पूछताछ के सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र 35, निवासी 336 सुथारों की ढाणी बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर हाल ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर षामिल रंनिग नोट की गयी। वक्त 07.45 पीएम इस समय तक मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपीया सुश्री सोनिया पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर का सेवा विवरण हेतु तहसीलदार तिंवरी को जरिये मोबाईल फोन वार्ता कर अविलम्ब सेवा विवरण भिजवानें हेतु निवेदन किया गया। वक्त 08.15 पीएम पर सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना(प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2 एंव सहआरोपी के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जंहा से रिश्वति राशि बरामद हुई उस पेन्ट की जेब का लिया गया धोवन की शील्ड शुदा सैम्पल मार्क पी-1,पी-2 जब्त सुदा रिश्वति राशि 10,000/रूपये, सहआरोपी के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जंहा से रिश्वति राशि बरामद हुई उस पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क-पी आदि मुताबिक फर्दात, ट्रेप बाक्स, डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, कार्यवाही से सम्बधित पत्रावली तथा गिरफ्तार सुदा आरोपीया सुश्री सोनिया पटवारी, आरोपी सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना(प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस, मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रामखिलाडी मीण व श्री अरूण गहलोत, परिवादी किशन ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहा. उप. निरीक्षक, श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक, श्री प्रकाश कनिष्ठ लिपिक, श्री ओमप्रकाश कानिष्ठ लिपिक, एवं श्रीमति सुशीला महिला कानि. 103 जरिये सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8906 चालक श्री श्रवणकुमार ड्रा.कानि. के पुलिस चैकी तिंवरी से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना हुए। दिनांक 25.04.2024 को वक्त 00.30 एएम पर मन अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय गिरफ्तार सुदा आरोपी गिरफ्तार सुदा आरोपीया सुश्री सोनिया पटवारी, सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना(प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के फिगरा उपरोक्त के रवाना सुदा पावटा सेटेलाईट अस्पताल जोधपुर पहुच आरोपीगण का अस्पताल पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्रात कर आरोपितया सुश्री सोनिया पटवारी, आरोपी सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना(प्राईवेट व्यक्ति दलाल) को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर में सुपर्द कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना(प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2 एंव सहआरोपी के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जंहा से रिश्वति राशि बरामद हुई उस पेन्ट की जेब का लिया गया धोवन की शील्ड शुदा सैम्पल मार्क पी-1,पी-2, जब्त सुदा रिश्वति राशि 10,000/रूपये, सहआरोपी के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जंहा से रिश्वति राशि बरामद हुई उस पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क-पी आदि माफिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। डिजिटल वायस रिकार्डर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। ताबाद दोनो स्वतंत्र गवाहान को वक्त 07.00 ए.एम पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने की हिदायत कर रुखसत दी गई तथा परिवादी के कार्यालय हाजा में रूकने की व्यवस्था की गई। श्री मोहनराम स0उ0नि0 व श्री प्रकाश कनिष्ठ सहायक को जाय तैनाती पर उपस्थिति हेतु रवाना किया गया। दिनांक 25.04.2024 वक्त 07.00 ए.एम पर इस समय तक पूर्व से पांबद सुदा दोनो मौतबिरान श्री रामखिलाडी मीणा एवं श्री अरूण गहलोत कार्यालय मे उपस्थित आये। वक्त 07.10 ए.एम पर मन् अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी किशन व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रामखिलाडी मीणा एवं श्री अरूण गहलोत के समक्ष परिवादी किशन एवं आरोपीया सुश्री सोनिया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के मध्य दिनांक दिनांक 24.04.2024 को रिश्वती राशि लेनदेन से पूर्व हुई मोबाईल वार्तालाप तथा परिवादी किशन एवं आरोपीया सुश्री सोनिया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर व सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के मध्य हुई दिनांक 24.04.2024 को रूबरू रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर को रूबरू गवाहान मन अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा से निकालकर डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के

कम्प्युटर से जोडकर मैमोरी कार्ड मे रिकोर्डेड उक्त दोनों वार्तालापो को रुबरु दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के कम्प्युटर के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से बारी-बारी से सुन-सुन कर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ लिपिक की सहायता से रिश्वती राशि लेनदेन से पूर्व हुई मोबाईल वार्तालाप एवं रिश्वति राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपीया सुश्री सोनिया पटवारी पटवार मण्डल बालरवा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर व सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) तथा स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी किशन द्वारा की गई। तत्पश्चात उपरोक्त दोनां वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ताओं की श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ लिपिक से कार्यालय के कम्प्युटर मे कापी करवाई जाकर उक्त दोनो वार्तालापो की कम्प्युटर की मदद से दो सीडी तैयार करवाई गई। उक्त सीडीयो को डब सीडीया मानते हुए सीडी पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीडी को खुला ही रहने दिया गया। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर से मौमोरी कार्ड को बाहर निकाल कर मन अनु चैधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त शील्ड सुदा मैमोरी कार्ड के पैकेट एवं दो डब सीडी खुली हालात मे ही मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 25.04.2024 को वक्त   10.10 ए.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस जरिये सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे 14 यूसी 8906 चालक श्री श्रवण कुमार के आरोपीया सुश्री सोनिया पटवारी, सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना(प्राईवेट व्यक्ति दलाल) को पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर की हवालात से लाने हेतु रवाना हुई। वक्त 10.40 ए.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस जरिये सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे 14 यूसी 8906 चालक श्री श्रवण कुमार के आरोपीया सुश्री सोनिया पटवारी, सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह गट्टू बन्ना (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर से लेकर उपस्थित कार्यालय आई। वक्त 10.45 ए.एम पर परिवादी श्री किशन एवं स्वतंन्त्र गवाहान श्री राम खिलाड़ी एवं श्री अरूण गहलोत को बाद कार्यवाही ईजाजत वापसी दी गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपिया सुश्री सोनिया रेगर पुत्री श्री कैलाश रेगर, उम्र 29, निवासी ग्राम गुलगांव, तहसील व जिला केकड़ी हाल निवासी किराये का मकान श्री रमेश परिहार का मकान, एस.बी.आई. बैंक वाली गली, सुरसागर जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर एवं सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र 35, निवासी 336 सुथारों की ढाणी बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर हाल ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) द्वारा परिवादी श्री किशन से आरोपी द्वारा परिवादी की पुश्तैनी जमीन के नामान्तरण, रहनमुक्त/रहनामा व तरमीम करने तथा पूर्व में दर्ज किये गये नामान्तरण में नाम शुद्धिकरण करने की एवज में परिवादी से 10,000/- रू. रिश्वति राशि की मांग करने, वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपिया सुश्री सोनिया पटवारी द्वारा मांग के अनुशरण में परिवादी से 10,000/- रूपये रिश्वति राशि अपने दलाल श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना को दिलवाना एवं श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) द्वारा आरोपिया सुश्री सोनिया पटवारी के कहे अनुसार रिश्वती राशि 10,000/- रू0 प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रखना जहां से रूबरू गवाहान के रिश्वति राशि 10,000/- रूपये बरामद होना पाया गया है। सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र 35, निवासी 336 सुथारों की ढाणी बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर हाल ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में हल्का गुलाबी रंग, आरोपी के बाये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में हल्का गुलाबी रंग आना, 10,000/- रूपये रिश्वति राशि सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना पुत्र (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद होना उक्त पेन्ट की जेब का लिया गया धोवन गहरा गुलाबी पाया गया। इस तरह आरोपिया सुश्री सोनिया रेगर पुत्री श्री कैलाश रेगर, उम्र 29, निवासी ग्राम गुलगांव, तहसील व जिला केकड़ी हाल निवासी किराये का मकान श्री रमेश परिहार का मकान, एस.बी.आई. बैंक वाली गली, सुरसागर जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर एवं सहआरोपी श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र 35, निवासी 336 सुथारों की ढाणी बालरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर हाल ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालरवा (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस का कारित कि जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमंकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। (अनु चैधरी)निरीक्षक पुलिस , भ्रष्टाचार निराेधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण .....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनु चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपिया 1.सुश्री सोनिया रैगर पुत्री श्री कैलाश रैगर, पटवारी, पटवार मण्डल बालरवा, तहसील तिंवरी जिला

जोधपुर एवं 2. श्री विजयवीर सिंह उर्फ गट्टू बन्ना पुत्र श्री महावीर सिंह, निवासी 336 सुथारों की ढाणी बालरवा, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर हाल ई-मित्र संचालक जनसेवा केन्द्र बालवा (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री खींव सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 342 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 302-05 दिनांक 26.04.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2. जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर ग्रामीण। 3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** khinw SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/04/2024 19:53:06

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1995				
2	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)